वर्दीधारी अमले की सीधी भर्ती के लिए सरकार ने बढ़ाई उम्र सीमा

भोपाल। प्रदेश में अब वर्दीधारी मैदानी अमले की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 28 साल होगी। अभी ये सीमा 20 से 25 साल है। इसी तरह आरक्षित वर्ग के लिए भी उम्र सीमा 40 की जगह 38 साल होगी। इसके लिए सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन का फैसला किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह, वाणिज्यिक कर (आबकारी), जेल, परिवहन और वन विभाग से कहा है कि वे अपने भर्ती नियमों में संशोधन करें। मंत्रालय अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने 2012 में सभी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के साथ महिलाओं को पांच साल की छूट दी थी, लेकिन ये व्यवस्था पुलिस, वन, आबकारी और जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं थी।

इसका मतलब साफ था कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए अध्ािकतम आयु सीमा 40 वर्ष का लाभ नहीं मिलना था। इसके बाद भी वर्दीधारी संवर्गों में भर्ती के लिए विभागीय नियमों में अध्ािकतम उम्र सीमा अलग-अलग तय थी। गृह विभाग के भर्ती नियमों में उम्र सीमा 20 से 25 वर्ष है। अन्य विभागों के भर्ती नियमों में भी आयु सीमा अलग-अलग थी। विभाग सामान्य प्रशासन विभाग से बार-बार मार्गदर्शन मांगते थे।

इसे देखते हुए विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग और विभागों से अध्ािकतम आयु सीमा को लेकर राय-मशविरा करके न्यूनतम और अध्ािकतम आयु सीमा तय कर दी है। इसके तहत खुली प्रतियोगिता से सीध्ाी भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 28 वर्ष रहेगी। आरक्षित वर्ग (अजा-अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवक, निगम, मंडल, स्वायत्तशासी संस्थाएं, नगर सैनिक और महिलाओं) को उम्र सीमा में अधिकतम10 साल की छूट रहेगी।